मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर–दिसम्बर, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 (कार्तिक 24, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र भंवरलाल नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार आप्टेल टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड का आठवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) एवं धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) एवं धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988–89 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मुंशीलाल, सदस्य, मुरैना जिले में कृषकों को मिलावटी खाद, बीज व कीटनाशक दवा का प्रदाय किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले की जैसीनगर पंचायत द्वारा आवासीय पट्टे वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. विकलांग जन अधिनियम, 1996 के तहत् राज्य स्तरीय समन्वय समिति के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन

श्री डोमनसिंह नगपुरे, राज्यमंत्री समाज कल्याण, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगेः–

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, विकलांग जन अधिनियम, 1996 की धारा 13 की उपधारा (2) (जी) की अपेक्षानुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति के लिए विधान सभा के सदस्यों में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो."

5. संकल्प

निर्धारित समय

श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

3 घन्टे

"इस सदन का यह मत है कि पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु संविधान में आवश्यक प्रावधान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय."

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सोनेराम कुशवाह, हरीशंकर जायसवाल तथा श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 नवम्बर, 1999